



जवाहर कला केन्द्र, जयपुर
जे.एल.एन.मार्ग जयपुर-302004

ई-निविदा दस्तावेज

जवाहर कला केन्द्र में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान टैण्ट सामग्री किराये पर आपूर्ति व पुष्प सज्जा का कार्य।

ई-निविदा सूचना संख्या 1554 / 2025-26



ई-निविदा सूचना संख्या / 2025-26

क्रमांक : 1554

दिनांक : 26-03-26


UBN Code :

NIB Code :

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा निम्न कार्य हेतु उपयुक्त पंजीकृत संवेदकों एवं संबंधित एजेन्सियों/फर्मों से निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदा प्रक्रिया हेतु ऑनलाईन निविदा आमंत्रित की जाती है -

क्र.सं.	बोली संख्या	/ 2025-26
1	उपापन अधिकारी	महानिदेशक
2	निविदा का संक्षिप्त विवरण	जवाहर कला केन्द्र में आयोजित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान टैण्ट सामग्री किराये पर आपूर्ति व पुष्प सज्जा का कार्य।
3	निविदा की अनुमानित लागत	रुपये 143.00 लाख (मय जी.एस.टी.)
4	निविदा का प्रकार	ई-निविदा (द्वि-लिफाफा पद्धति) द्वारा दर अनुबंध
5	निविदा विक्रय (Download) प्रारंभ करने की दिनांक एवं समय	दिनांक अपरान्ह बजे (Can be downloaded from https://sppp.raj.nic.in , https://eproc.rajasthan.gov.in/&jkk.artandculture.rajasthan.gov.in)
6	निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक	दिनांक 21/04/26 अपरान्ह 12.00 बजे 21/04/26
7	निविदा प्रपत्र की कीमत	रुपये 1,000/- डी.डी./बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
8	निविदा प्रोसेसिंग फीस	निविदा प्रोसेसिंग फीस राशि रुपये 2,000/- (Rupees Two Thousand Only) डी.डी./बैंकर्स चैक के रूप में "MD, RISL Jaipur" payable at "Jaipur" जमा करना अनिवार्य है।
9	बोली प्रतिभूति (Bid Security)	लागत राशि का 2 प्रतिशत राशि रुपये 2,86,000/- डी.डी./बैंकर्स चैक/एफ.डी.आर अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इसे निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न कर जमा करना अनिवार्य है।
10	निविदा शुल्क, निविदा प्रोसेसिंग फीस एवं बोली प्रतिभूति जमा कराने की अंतिम दिनांक	दिनांक 21/04/26 को अपरान्ह 2.00 बजे को जवाहर कला केन्द्र कार्यालय में जमा करवाना होगा।
10	तकनीकी निविदा खोलने की दिनांक	दिनांक 21/04/26 को अपरान्ह 4.00 बजे
11	वित्तीय निविदा खोलने की दिनांक व समय	तकनीकी निविदा में सफल निविदा दाताओं को सूचित किया जाएगा।
13	निविदा की वैधता अवधि	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि से 90 दिवस
14	आपूर्ति अवधि	कार्यादेश की दिनांक से 2 वर्ष
15	निविदा हेतु अधिकृत अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर।

- बोलीदाता, बोली दस्तावेज में उल्लेखित निर्धारित समयावधि में जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के स्टोर अनुभाग से बोली शुल्क जमा करवाकर बोली प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं या स्वयं जवाहर कला केन्द्र की वेबसाइट से डाउनलोड करने की स्थिति में बोली शुल्क जरिये डिमाण्ड ड्राफ्ट (अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर) जमा कराना होगा। बोली शुल्क, बोली प्रोसेसिंग फीस व बोली प्रतिभूति राशि के अभाव में बोलीदाता को तकनीकी रूप से असफल माना जायेगा व उनकी वित्तीय बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।





Signature Not Verified



Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director
General
Date: 2026.03.25 16:44:54 IST

RajKaj Ref No.:
21260213



2. बोली प्रस्ताव पूर्ण रूप से भरा हुआ मय हरताक्षर एवं संलग्नों के साथ उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक ई-प्रोक पोर्टल पर अपलोड किया जाना होगा एवं बोली शुल्क, बोली प्रोसेसिंग फीस व बोली प्रतिभूति राशि को सीलबंद लिफाफे में निविदा का नाम, फर्म का नाम अंकित कर इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता के कक्ष में रखे सीलबंद बॉक्स में निर्धारित समय एवं तिथि पर जमा करवाना होगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा बिना किसी विचार के अस्वीकार कर दी जावेगी। बोली प्राप्त होने में हुई देरी के लिये विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।

अतिरिक्त महानिदेशक
जवाहर कला केन्द्र, जयपुर



भाग - 1

निविदा की मुख्य शर्तें

Important Instructios: The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012" (hereinafter called the Act) and the "Rajasthan Transparency Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have come into force which is available on the website of Sate Public Procurement Portal <http://sppp.rajasthan.ov.in> Therefore, the Bidders are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act and the Rules before participating in the bidding process. If there is any discrepancy between the provisions of the Act and the Rules and this Bidding Document, the provisions of the Act and the Rules shall prevail.

1. शुल्क :-

- बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति राशि पृथक-पृथक डी.डी./ बैंकर्स चैक अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर के नाम से देय होगा। इनकी प्रति तकनीकी बोली दस्तावेजों के साथ संलग्न कर अपलोड करना अनिवार्य है। प्रोसेसिंग शुल्क राशि रुपये 2,000 /- (Rupees Two Thousand Only) डी.डी./ बैंकर्स चैक के रूप में "MD, RISL Jaipur" payable at "Jaipur" को देय होगा।
- इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी। बोली प्रपत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जायेगा।
- शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

शुल्क का विवरण	निविदा शुल्क की राशि	विवरण
निविदा प्रपत्र का शुल्क	1,000 /-	
निविदा प्रोसेसिंग शुल्क	2,000 /-	
निविदा प्रतिभूति राशि	2,86,000 /-	

- निविदादाता फर्म की विधिक संरचना** - निविदादाता फर्म का पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, सोसायटी या अन्य गठन हेतु कानूनी दस्तावेज पार्टनरशिप डीड/कम्पनी या सोसायटी का रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त के संबंध में फर्म का सक्षम स्तर से जारी ऑथराइजेशन लेटर संलग्न करना आवश्यक है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में उपरोक्त कार्य हेतु पंजीकृत फर्म भी पात्र होगी।
- अनुभव:-** बोलीदाता फर्म का विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान टैण्ट सामग्री किराये पर आपूर्ति का अनुभव सरकारी विभागों/राजकीय उपक्रमों में टैण्ट कार्य आपूर्ति कार्य का कम से कम गत तीन वित्तीय वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25) में किसी एक वर्ष में या कार्य आदेश अनुसार न्यूनतम राशि रु. 10.00 लाख के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है। इस हेतु संबंधित विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र/कार्यादेश/भुगतान स्वीकृति की सत्यापित प्रति तकनीकी दस्तावेजों के साथ संलग्न करावें।

4. पात्रता:-

- i. आमंत्रित बोली में प्रस्तुत विवरण के संबंध में बोलीदाता फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षों यथा वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25 में औसत वार्षिक टर्न ऑवर राशि रु. 35.00 लाख होना आवश्यक है। जिसके प्रमाण पत्र स्वरूप फर्म को चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित (सी.ए. के पंजीयन संख्या, यू.बी.एन. नं. एवं सील अंकित करते हुए) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

5. दस्तावेज :-

- i. बोली के साथ निविदादाता द्वारा वैद्य जी.एस.टी. पंजीयन एवं पैन कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
 - ii. बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अन्तिम तिथि तक वैद्य होना चाहिए।
 - iii. बोली के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या अंकित किया जाना आवश्यक है।
 - iv. निविदा प्रपत्र के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता फर्म का सत्यापन किया जाना आवश्यक है।
 - v. बोलीदाता द्वारा बोली की शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप इससे संबंधित परिशिष्ट सत्यापित कर निविदा के साथ प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी बोलीदाता ने सशर्त बोली प्रस्तुत की है तो उसकी बोली निरस्त कर दी जायेगी।
6. वैद्यता:- बोली की वैद्यता अवधि वित्तीय निविदा खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी। बोली की वैद्यता अवधि में नियमानुसार एवं आवश्यकता होने पर वृद्धि की जा सकेगी।
7. बोली हेतु स्पष्टीकरण :- उक्त कार्य के संबंध में किसी प्रकार की सूचना एवं स्पष्टीकरण हेतु किसी भी कार्य दिवस में बोली जमा कराने की अन्तिम तिथि से पूर्व इस कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है अथवा लिखित में दिया जा सकता है। स्पष्टीकरणों के लिए समस्त अनुरोध व उनके जवाब समस्त निविदा लगाने वालों को सूचित किये जायेंगे एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल में प्रकाशित किये जायेंगे।
8. बोली की प्रस्तुतीकरण की अन्तिम तिथि :- बोली आमन्त्रण सूचना में विनिर्दिष्ट समय एवं तिथि के पश्चात् प्राप्त बोली को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
9. बोलियों का खोला जाना:- तकनीकी एवं वित्तीय बोली निर्धारित तिथि पर बोलीदाताओं या उनके प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
10. बोली दस्तावेजों में परिवर्तन:- बोली प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से पूर्व उपापन संस्था द्वारा शुद्धि-पत्र जारी कर बोली दस्तावेजों में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। बोली दस्तावेज इसके लिए उपापन में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना प्रसारित की जायेगी व संस्था द्वारा बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने/संशोधन के लिए पर्याप्त समय दिया जायेगा।
11. बोलियों का मूल्यांकन:- प्राप्त बोलियों की तकनीकी निविदा को पहले खोला जायेगा एवं तकनीकी रूप से सफल निविदादाता की वित्तीय बोली को खोला जावेगा तकनीकी बोली का मूल्यांकन निविदा में निर्देशित दस्तावेजों के आधार पर किया जायेगा। वित्तीय बोली का मूल्यांकन अथवा सफल निविदादाता का निर्धारण न्यूनतम बोली अथवा सबसे लाभप्रद बोली के आधार पर किया जायेगा। न्यूनतम निविदादाता का निर्धारण हेतु मापदण्ड वित्तीय बोली में अंकित किये गये हैं।

12. सामान्य सूचना:-

- i. विस्तृत शर्तों को जानने के लिए विभागीय बोली, परिशिष्ट अ, ब, स तथा Annexure A, B, C, D का सावधानी पूर्वक अध्ययन किया जा सकता है।
 - ii. बोलीदाता फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर उपापन संस्था द्वारा प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर उचित समझने पर अथवा किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होनी पाए जाने पर बोलीदाता से वांछित दस्तावेज एवं स्पष्टीकरण लिया जा सकता है।
 - iii. उपापन संस्था किसी भी बोली अथवा उसके भाग को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये अस्वीकार अथवा निरस्त कर सकती है।
 - iv. सम्पूर्ण बोली प्रक्रिया पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम-2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम-2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं बोली दस्तावेज की शर्तों/प्रावधान लागू होंगे।
13. टैन्ट व पुष्प सज्जा सेवाओं की निम्न गुणवत्ता अथवा स्पेसिफिकेशन के अनुरूप नहीं होने पर टैन्ट व पुष्प सज्जा सेवाओं को उपापन संस्था नियमानुसार अन्य निविदादाता से कराने के लिए निर्णय हेतु सक्षम होगी एवं टैन्ट व पुष्प सज्जा के लिए निविदा राशि एवं अन्य निविदा दाता से टैन्ट व पुष्प सज्जा सेवाओं के लिए व्यय राशि के अन्तर राशि को संबंधित फर्म से नियमानुसार वसूल की जावेगी।
 14. जवाहर कला केन्द्र में समय-समय पर आयोजित होने वाले उत्सवों/मेलों एवं कार्यक्रमों में केन्द्र की आवश्यकतानुसार, टैन्ट व पुष्प सज्जा सामग्री कम से कम आठ घंटे की अवधि के भीतर लगाने होंगे। सभी सामग्री उच्च गुणवत्ता की उपलब्ध करवाने हेतु फर्म उत्तरदायी होगी।
 15. फर्म द्वारा उक्तानुसार टैन्ट व पुष्प सज्जा सामग्री केन्द्र तक लाने एवं ले जाने हेतु अतिरिक्त किराया भाड़ा देय नहीं होगा एवं उक्त व्यवस्था फर्म को स्वयं अपने स्तर से ही करनी होगी।
 16. फर्म को आवश्यकतानुसार टैन्ट व पुष्प सज्जा सामग्री सप्लाई हेतु दूरभाष पर भी निर्देशित किया जा सकता है जिसकी पुष्टि कार्यादेश के माध्यम से सामान सप्लाई के समय की जाएगी।
 17. वित्तीय बोली के अनुसार 2 वर्ष तक कार्य जवाहर कला केन्द्र, जयपुर द्वारा निर्देशित स्थान पर करना होगा।
 18. बोलीदाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा/निविदा का ध्यान पूर्वक अध्ययन करने के बाद समस्त प्रपत्रों/परिशिष्टों/अनुलग्नकों को पूर्ण रूप से भरकर ही निविदा प्रस्तुत की जावे।
 19. डीडी जमा कराने हेतु लिफाफे पर बोली का नाम, विभाग का नाम एवं बोलीदाता फर्म का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।
 20. निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों तथा निविदा के समस्त प्रपत्रों की पूर्ति कर (पूर्ण रूप से भरकर) प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर (सील सहित) संलग्न किया जाना आवश्यक है।
 21. फर्म को किसी भी विभाग में ब्लैक लिस्ट ना होने का शपथ-पत्र बोलीदाता फर्म के लैटर हेड पर प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में फर्म को तकनीकी रूप से अयोग्य माना जायेगा।
 22. निविदा प्रस्तुत करने के बाद निविदा के सम्बन्ध में बोलीदाता/उसके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि जिसके हस्ताक्षर प्रमाणित किए हुये हैं, द्वारा किये गये पत्र व्यवहार ही स्वीकार्य होंगे।
 23. उपरोक्तांकित शर्तों एवं विभागीय बोली, परिशिष्ट 1, 2, 3 व अ, ब, स, द तथा Annexure A, B, C, D में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी।
 24. बोली के संबंध में किसी प्रकार की जानकारी एवं स्पष्टता हेतु उपापन अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।

भाग-2

निविदा हेतु विशेष शर्तें

1. जवाहर कला केन्द्र में मासिक आधार एवं केन्द्र के कार्यक्रमों में किराये पर टैन्ट व पुष्प सज्जा की सेवाओं हेतु वार्षिक दर संविदा कार्य की तकनीकी निविदा प्रपत्र में वर्णित सूचना के अनुसार एवं वित्तीय निविदा प्रपत्र में दरें भरकर पृथक ऑनलाईन प्रस्तुत करना होगा।
2. (i) राजस्थान में स्थापित सूक्ष्म एवं लघु उद्यम हेतु आरक्षण माल की निविदा प्रस्तुत करने के लिए राजस्थान राज्य में उपरोक्त कार्य हेतु पंजीकृत वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ही पात्र होंगे जिन्हें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में उद्यमिता ज्ञापन/अभिस्वीकृति (EM-11) अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्रस्तुत करना होगा। उक्त उद्यमियों पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वित्त विभाग द्वारा RTPP-2013 नियम-33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के समस्त प्रावधान लागू होंगे एवं अधिसूचना में निर्देशित शपथ पत्र या छूट हेतु निर्देशित वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर ही इसे माना जायेगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त की जा सकती है।
3. **बोली प्रतिभूति राशि:-**
 - i. निविदा प्रतिभूति राशि उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। निविदा हेतु लागत राशि रु. 143.00 लाख का 2 प्रतिशत राशि रु. 2,86,000/- जमा कराने होंगे। राजस्थान के लघु उद्योगों की स्थिति में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी और लघु उद्योगों से भिन्न रूपण उद्योगों की दशा में जिनके मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है यह निविदा के मूल्य का 01 प्रतिशत होगी।
 - ii. केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के विभाग/राजकीय उपक्रमों/कंपनी/बोर्ड को बोली प्रतिभूति राशि जमा करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु बोली प्रतिभूति के स्थान पर, राज्य सरकार के विभागों और सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रित या प्रबंधित उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों और केन्द्रीय सरकार या राजस्थान सरकार के सरकारी उपक्रम और कम्पनियों से बोली प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी।
 - iii. राजस्थान राज्य के वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जिन्हें उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त हो, के अतिरिक्त अन्य फर्मों को बोलियों के साथ बोली आमंत्रण सूचना में अंकित निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है तथा वे उद्यम जिन्हें उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त है, के द्वारा बोली सूचना में अंकित बोली प्रतिभूति राशि की चौथाई राशि के लिए घोषणा पत्र बोली के साथ मान्य स्वरूप में एवं निर्धारित तरीके से प्रस्तुत करना अनिवार्य है राजस्थान राज्य में अभिस्वीकृति प्राप्त उद्यमों को बोली प्रतिभूति राशि में छूट तभी प्रदान की जा सकेगी जब उनके द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जावेगी। उपरोक्त अंकित प्रमाण पत्र बोली जारी होने की अन्तिम तिथि से पूर्व के जारी होने आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही बोली प्रतिभूति राशि में छूट प्रदान की जा सकेगी। उक्त दोनो प्रमाण पत्रों के अभाव में छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा और निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के लिए घोषणा पत्र के अभाव में प्राप्त बोलियों पर विचार नहीं किया जावेगा। राजस्थान राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बोली प्रपत्र निर्धारित बोली प्रपत्र शुल्क के 50 प्रतिशत मूल्य पर उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रदायक फर्म द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 33 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के बिन्दु संख्या 11 की पालना सुनिश्चित की जाएगी। बोलीदाता द्वारा राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 19.11.2015 के नियम 11 में अंकित फार्म बी: के अनुसार शपथ पत्र ऑनलाईन बोली के साथ उपलब्ध कराने होंगे। इसके अभाव में बोली निरस्त कर दी जावेगी।
 - iv. बोली प्रतिभूति का समपहरण बोली प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर लिया जायेगा।

- (क) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।
- (ख) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादित नहीं करता है।
- (ग) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात् कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।
- (घ) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में सप्लाई प्रारम्भ नहीं करता।
- (ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।


अन्य शर्तें एवं छूट आर.टी.पी.पी. नियम – 2013 के नियम 42 के प्रावधानों के अनुसार लागू होगी।

4. दरे :-

- i. बोली हेतु दर वित्तीय बोली परिशिष्ट 'स' के अनुसार ऑनलाईन ई-प्रोक पोर्टल पर प्रस्तुत करनी होगी। बोली में दरे शब्दों एवं अंको दोनो रूप में लिखी जाएं एवं इसमें कोई त्रुटि एवं उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। किसी भी त्रुटि, शब्दों व अंकों में भिन्नता होने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
- ii. बोली में दर अंकित करते समय GST सम्मिलित कर भरी जावे। टैक्स में रियायत मिली हुई है तो इस बात का स्पष्ट उल्लेख करें एवं इसका प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यदि सरकार द्वारा GST में कालान्तर में बढ़ोतरी या कमी की जाती है तो उसी के अनुसार भुगतान किया जावेगा।
- iii. बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें ही दी जायें।
- iv. बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके कारण उसकी बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।
- v. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली सूचना में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जित्तके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

5. स्पेसिफिकेशन:-

- i. कार्य बोली एवं बोली शर्तों में वर्णित निर्धारित मापदण्ड/निर्देशों के पूर्णतया अनुरूप होगी। कार्य की गुणवत्ता एवं स्पेसिफिकेशन के संबंध में अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, जयपुर का निर्णय अंतिम होगा तथा लिया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं मान्य होगा।
- ii. यदि आपूर्ति की जाने वाली वस्तुएँ निर्धारित स्तर के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत माल के बदले निर्धारित स्तर की वस्तु देने की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी तथा बोलीदाता को अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।
- iii. बोलीदाता द्वारा परिशिष्ट 'स' में अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। अन्य स्पेसिफिकेशन के आधार पर प्रस्तुत बोली निरस्त कर दी जावेगी।



6. निरीक्षण :-

1. यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य का निरीक्षण व जांच विभागीय तकनीकी अधिकारी द्वारा की जावेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन एवं गुणवत्ता के अनुरूप है या नहीं।
2. रद्द करना - निरीक्षण या परीक्षण के दौरान जो टैन्ट कार्य व पुष्प सज्जा सेवाएँ अनुमोदित नहीं की जायेगी उन्हें रद्द किया जावेगा तथा बोलीदाता द्वारा क्रय आदेश में निर्धारित अवधि में ही स्वयं की लागत पर उन्हें बदला जावेगा।

7. कार्य पूर्णता अवधि :-


- i. फर्म को कार्यादेश की दिनांक से 2 वर्ष तक कार्य करना होगा। निर्धारित समयावधि में यदि कार्य करने में असफल रहती है तथा निर्धारित अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही कार्य अवधि बढ़वाना चाहती है तो उसे उन बाधाओं का उल्लेख करते हुए जिनके कारण कार्य अवधि बढ़वाई जा रही है, लिखित में आवेदन करना होगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य अवधि बढ़ाने या नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया जावेगा।
- ii. यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण कोई कार्य का उपापन नहीं करती है या विनिर्दिष्ट मात्रा से कम उपापन करती है तो निविदा लगाने वाला किसी भी दावें या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।
- iii. आवश्यकतानुसार अनुबंध अवधि को RTPP Rules-2013 के प्रावधानों में आपसी सहमति से अनुबंध अवधि से तीन माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

8. करार :-

- i. निविदा में अंकित कार्य हेतु सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति के पत्र की दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में एक करार पत्र निष्पादित करना आवश्यक है। अनुबंध करार के पश्चात् कार्य आदेश दिया जावेगा। करार पत्र के निर्धारित प्रारूप में एवं निर्धारित अवधि में अनुबंध निष्पादन नहीं करने पर निविदा निरस्त योग्य मानी जायेगी।
- ii. निविदादाता द्वारा निर्धारित प्रारूप एवं निर्धारित मूल्य अनुसार नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक करार पत्र निष्पादित करना होगा।

9. कार्य संपादन प्रतिभूति राशि :-

- i. कार्य सम्पादन प्रतिभूति : कार्य सम्पादन प्रतिभूति की अभ्यर्थना राज्य सरकार के विभागों और ऐसे उपक्रमों, निगमों, स्वायत्त निकायों, रजिस्ट्रीकृत सोसाइटियों, सहकारी सोसाइटियों जो राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण या प्रबन्ध में हो और केन्द्रीय सरकार के उपक्रमों के सिवाय समस्त सफल निविदा लगाने वालों से ली जायेगी। तथापि, उनसे एक कार्य सम्पादन प्रतिभूति घोषणा ली जायेगी। राज्य सरकार किसी विशिष्ट उपापन या उपापन के किसी प्रवर्ग के मामले में कार्य सम्पादन प्रतिभूति के उपबंध को शिथिल कर सकेगी।
- ii. यदि सफल निविदादाता उस आइटम के लिए राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के बतौर जो उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा उद्यमिता ज्ञापन। अभिस्वीकृति अथवा उद्योग आधार मेमोरेण्डम प्राप्त किए हुए हो तो उस वस्तु की लागत मूल्य के 0.5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- iii. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों से भिन्न रूग्ण उद्योगों जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, के मामले में वस्तु की लागत मूल्य के 1 प्रतिशत के बराबर होगी।



- iv. सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अलावा अन्य सफल निविदादाता द्वारा कार्यादेश के 5 प्रतिशत के बराबर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराई जावेगी।
- v. इस राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
- vi. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि अतिरिक्त महानिदेशक, जवाहर कला केन्द्र, के नाम से निम्न रूप में दी जा जकेगी :-

(क) किसी अनुसूचित बैंक के बैंक ड्राफ्ट या बैंकर द्वारा।

(ख) राष्ट्रीय बचत पत्र और राजस्थान में किसी डाकघर द्वारा अल्प बचत के प्रोन्नयन के लिए राष्ट्रीय बचत स्कीमों के अधीन जारी कोई अन्य स्क्रिप्ट / लिखित यदि वह सुसंगत नियमों के अधीन बंधक रखी जा सकती हो। निविदा के समय वे उसके समर्पण मूल्य पर स्वीकार की जायेगी और मुख्य डाकपाल के अनुमोदन से औपचारिक रूप से उपापन संस्था के नाम अंतरित की जायेगी।

(ग) किसी अनुसूचित बैंक की गारंटी/गारंटियां जो जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

(घ) किसी अनुसूचित बैंक की नियत जमा रसीद (एफडीआर)।

यह निविदा लगाने वाले के खाते से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और बोव (लगाने से उपापन संस्था के नाम जारी होगी और निविदा लगाने वाले द्वारा अग्रिम रूप से उन्मोचित की जायेगी। उपापन संस्था नियत जमा रसीद को स्वीकार करने के पूर्व यह सुनिश्चित करेगी कि निविदा लगाने वाला बैंक की ओर से उपापन संस्था को संबंधित निविदा लगाने वाले की सहमति की अपेक्षा के बिना, नियत जमा रसीद की मांग पर संदाय/समयपूर्व संदाय करने का वचन जमा FDR ऐसी नियत जमा पर अर्जित व्याज के साथ समपहत की ली जायेगी।

(ड) खण्ड 'ख' से 'ड' के प्रारूप में विनिर्दिष्ट कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारन्टी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए निविदा लगाने वाले की समस्त संविदांत बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनांक की कालावधि के लिए विधि मान्य रहेगी।

- vii. संविदा के सन्तोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद या गारन्टी अवधि (यदि कोई हो तो) की समाप्ति के बाद, जो भी बाद में हो, तथा इससे सन्तुष्ट हो जाने पर कि निविदादाता के विरुद्ध कोई देय बकाया नहीं है, नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति का प्रतिदाय किया जाएगा।

(क) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि: कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नांकित मामलों में समपहरण पूर्ण या आंशिक रूप से किया जाएगा:-

(ख) जब संविदा की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ग) जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(घ) जब निविदादाता कार्यादेश के अनुसार निर्धारित अवधि में टैन्ट व पुष्प सज्जा की आपूर्ति आरम्भ करने में असफल रहता हो। सुरक्षा राशि में समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।


अन्य शर्तें एवं प्रावधान आर.टी.पी.पी. नियम-2013 के नियम 75 के अनुसार लागू होंगे।

10. भुगतान :-

- i. किसी भी प्रकार का अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
 - ii. सफल फर्म द्वारा किये गये कार्य के संबंध में, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाएगा।
 - iii. संतोषजनक सेवाओं के आधार पर नियमानुसार कटौती उपरान्त भुगतान किया जायेगा।
11. विभाग के पास किसी भी निविदा को स्वीकार करने, बिना कारण बताये रद्द करने या निविदा सूचना में अंकित किसी भी कार्य को एक से अधिक निविदादाता को वितरित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
 12. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो, जयपुर स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्यत्र पेश नहीं की जाएगी।
 13. मूल निविदा प्रपत्रों के अतिरिक्त जिन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ चाही जा रही है वह स्वयं निविदादाता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित की जानी आवश्यक है अन्यथा उक्त प्रतिलिपि/प्रतिलिपियां मान्य नहीं होगी।
 14. निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि तक वैध होने चाहिए।

15. निविदा प्रपत्र मूल्यांकन की शर्त :-

- (i) तकनीकी निविदा का मूल्यांकन :- तकनीकी निविदा प्रपत्र में अंकित शर्तों की पालना करने वाली फर्मों को तकनीकी रूप से सफल मानते हुए वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
- (ii) वित्तीय निविदा का मूल्यांकन :- वित्तीय निविदा का मूल्यांकन जी-अनुसूची की Above - Below दर के अनुसार प्रथम दिवस की दरों की कुल राशि एवं अगले दिवस की दरों की कुल राशि का योग एवं उसी प्रकार एच-अनुसूची में कुल राशि को आकलीत किया जायेगा। जी-अनुसूची एवं एच-अनुसूची की कुल राशि की तुलना के आधार पर न्यूनतम बोलीदाता का निर्धारण किया जायेगा। वित्तीय निविदा में एक से अधिक फर्म एल-1 होने की दशा में संवेदको के मूल्यांकन पत्रक (Assessment sheet) के अंको के आधार पर निर्णय किया जाएगा। मूल्यांकन पत्रक परिशिष्ट-"स" संलग्न है।



तकनीकी निविदा प्रपत्र
परिशिष्ट -1

जवाहर कला केन्द्र, जयपुर
जे.एल.एल.मार्ग, जयपुर-302004
ई-निविदा सूचना संख्या /2025-26

क्र.सं.	विवरण	विवरण	संलग्न दस्तावेज का विवरण (दस्तावेज की सत्यापित प्रति पृष्ठ संख्या सहित संलग्न करावें)
1.	फर्म/संस्था/बिड दाता का नाम		पृष्ठ सं.
2.	फर्म मालिकाना है या साझेदारी अथवा रजिस्टर्ड संस्था (प्रमाण-पत्र संलग्न करें)		पृष्ठ सं.
3.	फर्म/संस्था/बिड दाता का अधिकृत पता		पृष्ठ सं.
4.	फर्म/संस्था/बिड दाता के अधिकृत व्यक्ति का नाम एवं पत्र		पृष्ठ सं.
5.	मोबाईल नं./ईमेल आई.डी.		पृष्ठ सं.
6.	फर्म/संस्था/बिड दाता का पैन कार्ड नं.		पृष्ठ सं.
10.	निविदा प्रपत्र में निर्देशित परिशिष्ट अ, ब, स एवं द		पृष्ठ सं.
11.	जी.एस.टी. पंजीयन संख्या		पृष्ठ सं.
12.	पैन पंजीयन संख्या		पृष्ठ सं.
13.	फर्म का गत तीन वित्तीय वर्षों (वर्ष 2022-23, 2023-24 व 2024-25) में औसत वार्षिक टर्न ओवर राशि रूपये 35.00 लाख रू. वार्षिक होना आवश्यक है। (निविदा की शर्तों के अनुसार)		पृष्ठ सं.
15.	निविदादाता फर्म में पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, सोसायटी या अन्य गठन हेतु कानूनी दस्तावेज पार्टनरशिप डीड/कम्पनी या सोसायटी का रजिस्ट्रेशन या पी.डब्ल्यू.डी. में पंजीयन (यदि लागू हो)।		पृष्ठ सं.
16.	बिड सिक्योरिटी राशि जमा का विवरण		पृष्ठ सं.
17.	बिड प्रोसेसिंग शुल्क जमा का विवरण		पृष्ठ सं.
18.	बिड प्रपत्र शुल्क जमा का विवरण		पृष्ठ सं.
19.	सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम में टैंट कार्य का 3 वर्ष में अनुभव प्रमाण पत्र कार्यादेश + अनुबंध की प्रति (निविदा की शर्तों के अनुसार)		पृष्ठ सं.

नोट:- तालिका अनुसार आवश्यक दस्तावेज ई-प्रॉक पर तकनीकी निविदा में संलग्न नहीं करने पर
निविदादाता को तकनीकी रूप से अयोग्य घोषित करके वित्तीय निविदा को अस्वीकार कर दिया
जायेगा।

बिडदाता के हस्ताक्षर
मोहर व दिनांक सहित



(On Firm's letter head)

Annual turn over statement

The Average Annual Turnover of M/s.....
 (Name of Firm).....and address
For the given years are given below and
 certified that the statement is true and correct :-


Sr. No.	Financial Years	Turnover in Lakhs (Rs.)
1	2022-23	
2	2023-24	
3	2024-25	
Total		Rs.....Lakhs

Average annual Turnover**Rs.....Lakhs**

Date

Signature of the bidder

 Signature of Auditor/seal
 Chartered Accountant
 (Name & Address)
 Reg. NO.
 Mob. No.
 UDIN :-


परिशिष्ट - 'ब'

निविदादाताओं द्वारा घोषणा
(on the letter head of firm)

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हम निविदा की शर्तों एवं वित्तीय निविदा के अनुसार कार्य की तकनीकी योग्यता एवं वांछित पंजीयन रखते हैं। मेरे/हमारे द्वारा विभागीय परिशिष्ट 'अ, ब', स', द' तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे/हमारे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की जाएगी/करूंगा/करेगे। और मैं/हम उपरोक्त को अक्षरशः स्वीकार करते हैं।

मुझे/हमारी फर्म को किसी भी राजकीय संस्था द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है और हमें गत तीन वर्षों में संबंधित कार्य हेतु बहिष्कृत भी नहीं किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाए जो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी निविदा प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जाए तका निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाए।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर



मूल्यांकन पत्रक (Assessment Sheet)

1. Name of the Agency -

List of the document along with proof attached –

1. Evaluation will be used in selection of Most advantageous bidder only if a situation arises where rates / value for Lowest bidder arise for more than one bidder.(If more than one L1 Bidder). If only one L1 rate is achieved than the firm will be awarded as Successful Bidder.
2. For selection of Most advantageous bidder (when more than one L1 bidder), Technical scoring will be done on the basis of TABLE-2 given below . As per score highest scoring firm will be awarded as Successful Bidder amongst L1 Bidders.
3. If any situation arrived where technical scoring is also same for bidders than Most Advantageous Bidder shall be decided on the basis of Average annual turnover(AAT) of firm . In such situation firm with Highest AAT and highest technical score shall be awarded as Successful Bidder .

Table -2

S. No.	Particulars	Criterion (मापदंड)	Marks Details	Proof (Yes/No)
1.	वित्तीय सामर्थ्य :- फर्म/एजेन्सी का गत तीन वित्तीय वर्षों में वार्षिक (वर्ष 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25) टर्न ओवर प्रति वर्ष रूपये 35.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए।	35 लाख से 50 लाख तक	5 Marks	
		50 लाख से 1 करोड़	10 Marks	
		1 करोड़ से अधिक	20 Marks	
2.	राजकीय विभागों/उपक्रमों में कम से कम तीन वर्ष टेंडर कार्य के अनुबन्ध व कार्यादेश/अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतिया संलग्न करें।	3 वर्ष का अनुभव	5 Marks	
		3 से 10 वर्ष का अनुभव	10 Marks	
		10 वर्ष से अधिक का अनुभव	20 Marks	
		Total Marks		

हस्ताक्षर
निविदादाता मय
मोहर
नाम
दिनांक




17	Barricading Barricading with M.S. Pipe as per design including tying with vertical post including digging out holes in all types of soil complete in all respect with two horizontal members height 1.2 m upto 1.5m above ground level and vertical supports upto 2.5 metre and upto 3 days period including removal and cleaning the site complete in all respect & including dressing of sides and providing retro reflective tapes for traffic safety as per direction of Engineer-in charge in all types of soil.	Rmt.		28.00	Add Extra for item No. 16 in Rmt Barricading for each subsequent day after 3 day 3.00
18	Hire charges for folded type two seater sofa set (cum bed) with good quality white cloth cover	Nos		240.00	80.00
19	VIP Chair with cushion	Nos		100.00	40.00
20	Water Proof Tent with pipe pandal supported with Bamboo/Balli /MS Pipe frame.	Sqm		90.00	25.00
21	Water proofing canopy with ornamental frill, inner ceiling & curtains Upto size 20'x20' Above size 20'x20'	Sqm Sqm		175.00 250.00	40.00 55.00
22	Deluxe sofa Three Seater Two Seater Single Seater	Nos Nos Nos		700.00 500.00 300.00	200.00 150.00 100.00
23	Chemical toilet with house keeping arrangement and providing liquid soap, tissues, comb, freshener etc.	Nos		6000.00	1200.00
24	Water proof dome with truss steel structure, inner ceiling & curtains 60' span 80' span 90' span	Sqm Sqm Sqm		225.00 250.00 260.00	45.00 50.00 52.00
25	Aluminium German Hanger Tent Roof made up of Waterproof, Fire resistant Synthetic Rubber fabric of 885 GSM.	Sqm		400.00	80.00
Total					

Assistant Engineer
Jawahar Kala Kendra
Jaipur

Add. Director General
Jawahar Kala Kendra
Jaipur

Rate quoted by Tendered% Above/Below of 'G-Schedule.





Signature Not Verified

Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director
General
Date: 2026.03.25 16:45:48 IST


RajKaj Ref No.:
21250226

वित्तीय दर प्रपत्र

II-Schedule

Name of Work- Supply of Tent for programmes and activities organised by
Jawahar Kala Kendra

Sl. No.	Item Description	Quantity	Units	BASIC RATE In Figures To be entered by the Bidder 1st day Rs. P	RATE In Figures To be entered by the Bidder Subsequent days(per Day) Rs. P
1	2	3	4	5	6
1	Bed Set (5kg single mattress cotton (6 x 3 Ft., Pillow 1.5 Kg. 2 x 1 Ft., Rajai/Quilt Single 6 x 3 Ft., 2-3 Kg. Cotton, Bed Sheet Single)	1.000	Per Unit		
2	Takhta Wooden (6 x 3 x1.5 Ft) With cover yellow, green, Grey & other colour	1.000	Per Unit		
3	Dressing Table Wooden (3 x 6 Ft)	1.000	Per Unit		
4	Trus Steel different size	1.0000	Per Sqr. Ft		
5	Masking Cotton (different size & colour)	1.0000	Per Sqr. Ft		
6	Jumbo Cooler	1.0000	Per Unit		
7	Room Cooler	1.0000	Per Unit		
8	Gas Heater (Big size)	1.0000	Per Unit		
9	Sprinkler Fan (Big Size)	1.0000	Per Unit		
10	Round Table with Cover (different size)	1.0000	Per Unit		
11	Dustbin Artistic	1.0000	Per Unit		
12	linoleum sheet	1.0000	Per Sqr. Ft		
13	Fire extinguisher 5 kg., d.c.p. 4.5 Kg., c.o.-2 ISI Mark	1.0000	Per Unit		
14	Room Heater for Tent ISI Mark	1.0000	Per Unit		
15	Without water Proof pipe pandal in different colour	1.0000	Per Sqr. Ft		
16	Providing & fixing main gate (for entrance) made of -1 wooden plank 2 iron frame 3 Bambo frame duly covered with cotton cloth in approved design as per direction	1.0000	Per Sqr. Ft		

Signature Not Verified

Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director
General
Date: 2026.03.25 16:46:55 IST




17	Muddas big size with cover.	1.0000	Per Unit		
18	Pedistal Fan	1.0000	Per Unit		
19	Electric Heater (Big Size)	1.0000	Per Unit		
20	providing & Laying Temporary octonorm stall with fascia, water proof, on truss structure decorative with colorfull fabrics.	1.0000	Per sq. ft.		
21	Palang (Iron Frame 6 x 3 Ft.)	1.0000	Per Unit		
22	Queue Manager Stand	1.0000	Per Runing ft.		
23	AC (Standing) for stage VIP Programmes	1.0000	Per Unit		
24	Providing & Fixing Hazaare ki Mala double folded 2 feet (Per Mala)	1.0000	Per Mala		
25	Providing & Fixing Mala Gulab Ki double folded 2 feet (Per Mala)	1.0000	Per Mala		
26	Providing & Fixing Mala Gajra Ki double folded 2.5 feet (Per Mala)	1.0000	Per Mala		
27	Providing & Fixing Gulab ka bunch per (Per Stick)	1.0000	Per Stick		
28	Providing & Fixing Lily Ka Phool (Per Stick)	1.0000	Per Stick		
29	Providing & Fixing Rajnigandha (Per Stick)	1.0000	Per Stick		
30	Providing & Fixing Rangoli Haraare and Gulab Ke Phool Ki Pankhudiyo se (Per K.G.)	1.0000	Per K.G.		
31	Providing & Fixing Table Basket Gulab (Per Stick)	1.0000	Per Stick		
32	Providing & Fixing Mogre ki Mala Double Folded (Per Mala)	1.0000	Per Mala		
33	Providing & Fixing Imported Flower on Stage/any area (Per Mala)	1.0000	Per Mala		
	Total value	-	-		

नोट :-

1. निविदा दाता को परिशिष्ट-द में जी-शिड्यूल में दरें बीएसआर के अनुसार Above & Below व परिशिष्ट-द में एच-शिड्यूल के अनुसार BOQ में आईटम वाईज दरें ई-प्रोक पोर्टल पर अंकित करनी होगी।
2. किसी भी आईटम की दर राशि रुपये 1 से कम मान्य नहीं होगी। किसी भी आईटम की दर को रिक्त रखने या शून्य अंकित करने पर बोली को निरस्त माना जावेगा।
3. शर्तों को पूर्णरूप से पढकर अंकित की जानी चाहिए।

Assistant Engineer
Jawahar Kala Kendra
Jaipur

Add. Director General
Jawahar Kala Kendra
Jaipur




Signature Not Verified

D:\Vagade\Aad Chaudhary\Tender Final Tom and Party Sign Duration Tender 2023-26, 26.02.21

RajKaj Ref No.:
21260250

Digitally signed by Anuradha Gogi
Designation : Additional Director
General
Date: 2026.03.25 16:46:55 IST

Annexure-A

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest


Any person participating in a procurement process shall:-

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency. Fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

- A. Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
 - i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
 - a. have controlling partners/ shareholders in common; or
 - b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
 - c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
 - d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
 - e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
 - f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
 - g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.



Annexure-B

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)


Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to.....for procurement of..... in response to their Notice Inviting Bids No. Dated..... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name:
Designation:
Address:



Annexure-C

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Grievance Redressal during Procurement Process

The Designation and address of the First Appellate Authority is Director, General, Jawahar Kala Kendra, Jaipur.

The Designation and address of the Second Appellate Authority is Principal Secretary/Secretary, Art and Cultural, Deptt, Jaipur.

1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

- 2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) Determination of need of procurement;
- (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) Cancellation of a procurement process;
- (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- (c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.



7) **Procedure for disposal of appeal**

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,
 - i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 - ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.



[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No. of Before the
(First/Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
 - (i) Name of the appellant:
 - (ii) Official address, if any:
 - (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s)
 - (i)
 - (ii)
 - (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclose copy) or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal of the representative:

5. Number of Affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal :
.....
..... (Supported by an affidavit)

7. Prayer :
.....
.....
.....

Place
Date



Annexure - D

(हस्ताक्षरित व मोहर लगाकर तकनीकी बिड के साथ संलग्न करें)

Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above. If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

- (i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
- (ii) The Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- (iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the service provider fails to do so, the Procuring entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the service provider.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods/services)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, Transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

